क्रम-संख्या–55(ड)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 16 मार्च, 2021

फाल्गुन 25, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 208/वि0स0/संसदीय/25(सं)-2021

लखनऊ, 24 फरवरी, 2021

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 24 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(क) ''जिला मजिस्ट्रेट में राज्य सरकार द्वारा तद्निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट सम्मिलित है और पुलिस आयुक्त में राज्य सरकार द्वारा तद्निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त/उप पुलिस आयुक्त सम्मिलित है।''

धारा 6 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

(1) ''धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के अधीन कृत किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त या पुलिस आयुक्त को अपील कर सकता है।''

———————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है), लोक व्यवस्था अनुरक्षित रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियन्त्रण रखने तथा उनका दमन करने हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) में अपर जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा तद्निमित्त विशिष्टतः सशक्त के रूप में परिभाषित है और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में यह उपबन्ध है कि धारा 3, 4 या 5 के अधीन कृत किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसा आदेश किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है।

अधिसूचना संख्या 7/2020/53पी/छः—पु0—6—2020—01विविध—2020, दिनांक 13 जनवरी, 2021 द्वारा पूर्वोक्त अधिसूचना में उल्लिखित कार्यों के सम्बंध में पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गयी थीं और जिला लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में तैनात संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त, अपर उप पुलिस आयुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की गयी थीं।

उपरोक्त अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों का त्वरित निस्तारण करने के लिए धारा 2 के खण्ड (क) में जिला मजिस्ट्रेट की परिभाषा में राज्य सरकार द्वारा तद्निमित्त विशेष रूप से सशक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त/उप पुलिस आयुक्त को सम्मिलित करते हुए पुलिस आयुक्त को सम्मिलित करने हेतु संशोधन करने और उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन पुलिस आयुक्त को भी अपीलीय प्राधिकार उपबंधित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।

———————

<u>उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।</u>

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970

धारा 2-(क) "जिला मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है;

धारा 3—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि—

(क) कोई व्यक्ति गुण्डा है; और

(ख) (i) जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों के जान या सम्पत्ति के लिये संत्रास, संकट या अपहानि करते हैं या करने के लिये आयोजित हैं; या

(ii) ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, अध्याय 17, या अध्याय 22 के अधीन या दि सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 के अधीन या यू0पी0 एक्साइज ऐक्ट, 1910 के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने में अथवा किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है; और

(ग) साक्षीगण अपनी जान या सम्पत्ति के क्षेम के संबंध में अपनी आशंका के कारण उसके विरूद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं है;

तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा खंड (क), (ख) और (ग) के संबंध में उसके विरूद्ध सारवान आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना देगा, और उसको उनके विरूद्ध स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर देगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार होगा, तथा, जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उनकी राय में उसकी तदर्थ प्रार्थना परेशान या विलम्ब करने के प्रयोजन से न की गई हो, उसे, यदि वह ऐसा चाहे हो, स्वयं परीक्षित होने का और ऐसे अन्य किन्हीं साक्षियों को भी जिन्हें वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में पेश करना चाहे, परीक्षित करने का समुचित अवसर दिया जायेगा।

(3) तदुपरांत जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करने पर कि उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें विद्यमान हैं, लिखित आदेश द्वारा–

(क) उसे यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से, यदि कोई निर्दिष्ट किया जाय, और ऐसे समय के भीतर, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, जिले या, यथास्थिति, उसके भाग से स्वयं बाहर चला जाये और जिले या उसके निर्दिष्ट भाग में तब तक प्रवेश न करे जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये।

(ख) (1) ऐसे व्यक्ति से, ऐसी रीति से, ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, अपनी गतिविधि की सूचना देने, या स्वयं उपस्थित होने, अथवा दोनों कार्य करने की तब तक के लिये अपेक्षा कर सकता है;

(2) उसके द्वारा किसी ऐसी वस्तु को, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, कब्जे में रखने या उसको प्रयोग करने से तब तक के लिये प्रतिसिद्ध या निर्बन्धित करने का;

(3) उसके द्वारा अन्यथा ऐसी रीति से, जैसी अदेश में निर्दिष्ट की जाय, आचरण करने का तब तक के लिये निदेश दे सकता है–

जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाय।

धारा 4–जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन आदेश दिया गया हो, अस्थायी अवधि के लिये उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का निदेश दिया गया था, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करें, प्रवेश करने या वापस आने की अनुज्ञा दे सकता है और किसी भी समय ऐसी किसी अनुज्ञा का निरसन कर सकता है।

धारा 5–जिला मजिस्ट्रेट सम्बद्ध व्यक्ति को तदर्थ अभ्यावेदन करने का अवसर, जब तक कि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उनका यह समाधान न हो जाय कि ऐसा करना अव्यवहारिक होगा, देने के पश्चात् धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को, सामान्य जनता के हित में समय–समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न होगी।

धारा 6–(1) धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 222/XC-S-1–21-19S-2021

Dated Lucknow, March 16, 2021

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Gunda Niyantran (Sanshodhan) Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 24, 2021.

THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS (AMENDMENT)

BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Act, 2021.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 8 of 1971

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely:-

(a) "District Magistrate includes an Additional District Magistrate specially empowered by the State Government in that behalf and Commissioner of Police includes the Joint Commissioner of Police/Deputy Commissioner of Police specially empowered by the State Government in that behalf."

Amendment of section 6

3. In section 6 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

(1) "Any person aggrieved by an order made under section 3, section 4 or section 5 may appeal to the Commissioner or Commissioner of Police within fifteen days from the date of such order."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 (U.P. Act no. 8 of 1971) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to make special provisions for the control and suppression of goondas with a view to maintain public order. Clause (a) of section 2 of the said Act defines District Magistrate as including an additional District Magistrate specially empowered by the State Government in that behalf and sub-section (1) of section 6 of the said Act provides that any person aggrieved by an order made under sections 3, 4 or 5 may appeal to the Commissioner within fifteen days from the date of such order.

By notification no. 7/2020/53P/VI/Pu-6-2020-01vividh-2020, dated January 13, 2020 the Commissioner of Police was conferred the powers of the Executive Magistrate, Additional District Magistrate and the powers of the District Magistrate with respect to the Acts mentioned in the aforesaid notification, and the Joint Commissioner of Police, the Additional Commissioner of Police, the Deputy Commissioner of Police, the Additional Deputy Commissioner of Police and the Assistant Commissioner

of Police posted in Lucknow and Gautam Buddha Nagar were conferred with the powers of the Executive Magistrate.

In view of the above notification and for the speedy disposal of the objectives of the said Act it has been decided to amend the definition of District Magistrate in clause (a) of section 2 to include Commissioner of Police including the Joint Commissioner of Police/the Deputy Commissioner of Police specially empowered by the State Government in that behalf and to amend sub-section (1) of section 6 of the said Act to provide Commissioner of Police also as the Appellate Authority under section 6 of the said Act.

The Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.

YOGI ADITYANATH,
Mukhya Mantri.

By order,
J. P. SINGH-II
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 811 राजपत्र—2021—(1712)—599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

811 RPH (Gunda)(Sansadiya folder vidhaika-21- Data 4e